न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश बर, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन पत्र संख्या – 99/2026
राज्य बनाम अशोक कुमार वगैरह
सेशन प्रकरण संख्या – 47/2026
CNR No. – RJBE090007412026

अशोक कुमार उर्फ आसु उर्फ आसुराम पुत्र दलाराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी अणकिया नोकड़ा, पुलिस थाना आरजीटी, जिला बाड़मेर (राज.)

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, बर, जिला ब्यावर।

..... **अप्रार्थी/अभियोगी**

द्वितीय अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 345/2022, पुलिस थाना – रायपुर,
अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थिति –
1. श्री सुरेश चौधरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र बागड़ी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से उपस्थित।

।। आदेश ।।

दिनांक – 24.07.2026

1. **प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार** की ओर से अंतरिम जमानत का यह **द्वितीय प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत **धारा 483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का पेश किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि **दिनांक** 07.09.2022 को परिवादी **जेठाराम, पु.नि.** मय जाब्ता मय आवश्यक सामग्री मुखबीर से प्राप्त इत्तिला पर समय

02.05 ए.एम. पर सरहद ताजपुरा राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय ताजपुर के साने आम रोड घटनास्थल पर पहुंचा। ब्यावर की तरफ से एक सफेद रंग की बिना नम्बरी ईशुजू गाडी खतरनाक तरीके से कट मारकर निकली, जो कि संदिग्ध प्रतीत होने से उसका पीछा किया तो ईशुजू गाड़ी के ड्राईवर व दूसरे व्यक्ति ने जाब्ते पर फायर किया जिससे परिवादी की थार जीप चालक ओमप्रकाश के गले में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। ईशुजू गाड़ी चालक व उसके साथी हथियार लहराते हुए पहाड़ी की तरफ जंगल में भाग गये। ईशुजू गाड़ी को चैक किया तो उसमें पीछे काले रंग के बोरे भरे हुए को हलके स्लेटी रंग के तिरपाल से ढका हुआ था। गाड़ी में रखे बोरों में डोडा पोस्त की सुगन्ध आ रही थी। उक्त कट्टों को जाब्ते की सहायता से नीचे उतारकर गिना गया, तो काले रंग के प्लास्टिक के बोरे अवैध डोडा पोस्त से भरे कुल 38 बोरे पाये गये। अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त से भरे 38 बोरों का वजन किया तो कुल वजन 762 किलोग्राम होना पाया गया, इत्यादि।

3. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में प्रार्थी को मिथ्या रूप से आलिप्त कर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने इस वारदात में कोई भाग नहीं लिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी की माता अणसी देवी के बच्चादानी में गांठ होने से वर्तमान में गम्भीर बीमारी से ग्रसित होकर उसका वर्तमान में मथुरा दास माथुर हॉस्पीटल, जोधपुर से ईलाज चल रहा है तथा डॉक्टर की सलाह अनुसार उनके बच्चादानी में बनी गांठ का ऑपरेशन करके बाहर निकालने की सलाह दी गई। प्रार्थी अपनी माता अणसी देवी से एक बार मिलना व बातचीत करना चाहता है तथा उसकी उपस्थिति में ऑपरेशन करवाना चाहती है। प्रार्थी की माता वृद्ध है और प्रार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। प्रार्थी अपनी माता का ऑपरेशन करवाना चाहता है। इस प्रकरण में काफी गवाहों के बयान हो चुके हैं, जो प्रार्थी के खिलाफ नहीं है। प्रार्थी के घर पर कमाने वाला वह एक मात्र ही व्यक्ति है, जिसको 60 दिवस का अन्तरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में किसी भी प्रकार का प्रकरण या अन्य कोई मामला नहीं रहा है। प्रार्थी से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, न ही किसी भी प्रकार की बरामदगी शेष है तथा अनुसंधान अधिकारी ने झूंठी बरामदगी करवाई है। प्रार्थी अपने मूल निवास स्थान पर ही रहने वाला है। इस प्रकरण में जब्ती

अधिकारी व अन्य गवाहन के सशपथ बयान हुये हैं, उनसे भी प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला साबित नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप में मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध प्रकट करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बाद तफ्तीश अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त **अशोक कुमार** के विरुद्ध पूर्व में लंबित **आपराधिक प्रकरण** की **सूची** प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	पुलिस थाना	धारा	चालान दिनांक	नतीजा कोर्ट
	– शून्य –				

7. प्रकरण में अन्तरिम जमानत के संबंध में संबंधित थाने से जांच रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मथुरादास अस्पताल से दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में अंकन किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त के द्वारा अपनी माता के ईलाज संबंधी दस्तावेज पेश किए गए हैं। उक्त दस्तावेज में ऐसा कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता जी का तुरन्त ऑपरेशन किया जाना आवश्यक हो। अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर लगभग 762 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त को अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने का आरोप है। अभियुक्त की ओर से पूर्व में दिनांक 16.04.2025 को भी अंतरिम जमानत का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी माता के हार्ट ब्लॉकेज के संबंध में

ऑपरेशन हेतु अंतरिम जमानत हेतु निवेदन किया गया था, जो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2025 को खारिज किया जा चुका है। साथ ही यह भी कि अभियुक्त को पूर्व में भी लगभग 45 दिन व 15 दिन कुल 60 दिनों की अंतरिम जमानत का लाभ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

– <u>आदेश</u> –

8. परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ आसु उर्फ आसुराम** पुत्र दलाराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी अणकिया नोकड़ा, पुलिस थाना आरजीटी, जिला बाड़मेर (राज.) की ओर से प्रस्तुत **अन्तरिम जमानत** का **द्वितीय** प्रार्थना–पत्र अंतर्गत **धारा 482** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, **अस्वीकार** किया जाकर **खारिज** किया जाता है।

9. **संबंधित लिपिक को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस आदेश की सॉफ्ट कॉपी जरिए ई–मेल संबंधित जेल को अविलम्ब प्रेषित करावें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–5/पी.आई./2025 दिनांक 12.03.2025 की पालना में एक कवर शीट भी अभियुक्त को सूचनार्थ संबंधित जेल को मेल की जाए।**

(मनीषा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश बर,
ब्यावर

10. आदेश आज **दिनांक 24.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(मनीषा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश बर,
ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.28 11:56:53 IST